



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-85

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 310087 दिनांक 01/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Veena Devi Sharma W/o Rakesh Chand Lawaniya	ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अशोक खण्डेलवाल	E29	133.33 SQ. YARD	Private	A R G PURAM Sector/Block-E	Name Transfer	जविप्रा की निजी खातेदारी योजना ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. के भूखण्ड सं. ई-29 क्षेत्र 133.33 वर्ग की लीजडीड ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अशोक खण्डेलवाल को दिनांक 31.05.2013 को जारी की गई। उक्त का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से ए.आ.जी. हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अशोक खण्डेलवाल द्वारा श्री सत्येन्द्र गोयल पुत्र स्व० श्री रामवतार गोयल को दिनांक 12.02.2014 को किया गया। तत्पश्चात उक्त का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से श्री सत्येन्द्र गोयल



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पुत्र स्व० श्री
रामवतार गोयल
द्वारा श्रीमती
वीना देवी शर्मा
पत्नी श्री राकेश
चन्द लवानिया को
दिनांक
10.01.2025 को
कर दिया गया।
आवेदनकर्ता
श्रीमती वीना देवी
शर्मा पत्नी श्री
राकेश चन्द
लवानिया द्वारा
उक्त भूखण्ड का
नाम हस्तान्तरण
हेतु आवेदन
प्रस्तुत किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Veena Devi Sharma W/o Rakesh Chand Lawaniya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।